समाहरणालय नवादा

(जिला राजस्व शाखा)

आम सूचना

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिलान्तर्गत अगहन पूर्णिमा को होने वाला सीतामढ़ी मेला, मेसकौर की बंदोवस्ती वित्तीय **वर्ष 2013–14** के लिए करने हेतु खुली डाक दिनांक **02.12.13** को **11.00** बजे पूर्वाहन में जिला स्तर पर की जायेगी। यदि किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बंदोवस्ती नहीं होती है तो क्रमशः दिनांक **03.12.13** एवं **05.12.13** को पूर्व निर्धारित समय पर खुली डाक द्वारा बंदोवस्ती की जायेगी।

सैरात का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	सैरात का नाम	अंचल का नाम	प्रस्तावित सुरक्षित जमा की राशि	डाक का स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सीतामढ़ी मेला, मेसकौर	मेसकौर	4,89,900/–	समाहरणालय सभा कक्ष, नवादा	

बंदोवस्ती की शर्त्तें निम्न प्रकार है :–

1. डाकवक्ता को निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि का 10 प्रतिशत डाक में भाग लेने हेतु अग्रधन (जमानत की राशि) के रूप में जमा करना होगा ।
2. बंदोवस्ती खुली डाक की पद्धति से की जायेगी ।
3. उच्चतम डाक की बोली बोलकर डाक नहीं लेने वाले व्यक्ति की जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
4. बंदोवस्ती होने की स्थिति में उच्चतम डाकवक्ता को उच्चतम डाक की राशि डाक के समय ही जमा करनी होगी, अन्यथा उनके साथ बंदोवस्ती नहीं की जायेगी ।
5. मेला में टॉल की वसूली सरकारी नियमों के अनुकूल ही करनी होगी ।
6. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बंदोवस्ती को स्थगित करने, बंदोवस्ती की तिथि बढ़ाने, बंदोवस्ती को निलंबित करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
7. उच्चतम डाकवक्ता को परवाना निर्गत करने के पूर्व एकरारनामा का निबंधन अपने व्यय पर कराना आवश्यक होगा ।
8. पूर्व के वर्षों में जिस व्यक्ति के नाम से बंदोवस्ती हुई है और यदि उनके पास कोई भी राशि बकाया रह गयी हो तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा ।
9. यह विवरणी www.prdbihar.org.in एवं www.nawada.bihar nic.in पर देखी जा सकती है ।

ह0/–

समाहर्त्ता
नवादा।